

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पटना।

पटना, दिनांक:.....

विषय:- सर्वश्री युनाईटेड ब्रिवरीज लि�0 (इकाई धारूहेरा जिला-रेवारी, हरियाणा), पटना के लेबुलों को बिहार राज्य में बिकी (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1320 दिनांक-04.04.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाईटेड ब्रिवरीज लि�0 (इकाई धारूहेरा जिला-रेवारी, हरियाणा), पटना द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुल को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से नवीकृत किया जाता है।

क्र0	ब्रांड / लेबुल का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 12-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	किंगफिशर स्पेशल लेगर बीयर (5 प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	650	N 2623/11-12	2623/12-13
2	कल्याणी ब्लैक लेबल स्ट्रॉग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	650	N 2624/11-12	2624/12-13
3	किंग फिसर सुप्रीम स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	650	N 2617/11-12	2617/12-13

शर्त :-

- उपरोक्त लेबुल को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुल को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत लेबुल पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिकी से अधिक बिकी होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्तर के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- लेबुल पर वैधानिक चेतावनी “द्वीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ” लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140-03/2006

2017

पटना, दिनांक:- 12.4.12

प्रतिलिपि :—सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी0 एस0 बी0 सी0 एल0, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री युनाईटेड ब्रिवरीज लि�0 (इकाई धारूहेरा जिला/रेवारी, हरियाणा), पटना

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र,
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पटना।

पटना, दिनांक:—.....

विषय:— सर्वश्री युनाइटेड ब्रिवरीज लि० (इकाई कल्याणी), पटना के लेबलों को बिहार राज्य में बिकी (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1346 दिनांक 5.4.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाइटेड ब्रिवरीज लि० (इकाई कल्याणी), पटना द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार द्वारा नवीकृत किया जाता है।

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	किंगफिसर सुप्रीम स्ट्रॉग बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० से अधिक एवं 8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2453/11-12	2453/12-13
2	तदैव	330	N 2454/11-12	2454/12-13
3	किंगफिसर स्पेशल लेगर बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2455/11-12	2455/12-13
4	तदैव	330	N 2456/11-12	2456/12-13
5	कल्याणी ब्लैक लेबल स्ट्रॉग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी० / भी० के अंदर)	650	N 2608/11-12	2608/12-13
6	किंगफिसर रेड प्रिमीयम ग्रेमिटी बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	2233/11-12	2233/12-13

शर्तों :—

1. उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.13 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
2. संभावित बिकी से अधिक बिकी होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
3. प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी “झीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ” लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
4. अन्य शर्तों एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— ३ / एफ२-१४०-३७ / २००१

२०१४

पटना, दिनांक:— १२.५.१२

प्रतिलिपि :—सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी० एस० बी० सी० एल० पटना/पाधिकत प्रतिनिधि सर्वश्री गणाधने विकारीज चिह्न (उपायक उपायक) ——————

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र,
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पटना।

पटना, दिनांक:—.....

विषय:— सर्वश्री युनाइटेड ब्रिवरीज लि�0, पटना (राजस्थान इकाई) के लेबलों को बिहार राज्य में बिकी (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012–13 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1345 दिनांक 5.4.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री युनाइटेड ब्रिवरीज लि�0, पटना (राजस्थान इकाई) द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार द्वारा नवीकृत किया जाता है।

क्र0	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012–13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	किंगफिसर प्रिमीयम लेगर बीयर (5 प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	500 (केन)	2086/11-12	2086/12-13
2	किंगफिसर स्ट्रॉग प्रिमीयम बीयर (8प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	500 (केन)	2088/11-12	2088/12-13
3	कल्याणी ब्लैक लेबल स्ट्रॉग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	500 (केन)	2208/11-12	2208/12-13
4	किंगफिसर सुप्रीम स्ट्रॉग बीयर (5 प्रतिशत भी0 भी0 से अधिक एवं 8 प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	650	N 2457/11-12	2457/12-13
5	तदैव	330	N 2458/11-12	2458/12-13
6	किंगफिसर स्पेशल लेगर बीयर (5 प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	650	N 2459/11-12	2459/12-13
7	तदैव	330	N 2460/11-12	2460/12-13
8	किंगफिसर स्ट्रॉग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	330 (केन)	2207/11-12	2207/12-13
9	किंगफिशर ब्लू प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	500	2359/11-12	2359/12-13

शर्तें :—

1. उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.13 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012–13 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
2. संभावित बिकी से अधिक बिकी होने पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
3. प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी “झीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ” लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
4. अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0 /-

(नवीन कुमार मिश्र)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:— 12-4-12

ज्ञापांक:— 3 / एफ2-140-37 / 2001

2019

प्रतिलिपि :— सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक/ बी0 एस0 बी0 सी0 एल0, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि जर्तशी ग्रामपाल विकास एवं विकास विभाग, पटना।